**मानक वैयक्तिक सावधि बीमा उत्पाद - सरल जीवन बीमा**

**प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू)**

मानक वैयक्तिक सावधि बीमा उत्पाद - सरल जीवन बीमा संबंधी दिशानिर्देश आईआरडीएआई द्वारा 15 अक्तूबर 2020 को अधिसूचित किये गये थे। इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य सरल विशेषताओं और मानक शर्तों से युक्त एक मानक, वैयक्तिक सावधि जीवन बीमा उत्पाद की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था। यह मानक उत्पाद ग्राहकों के लिए एक प्रमाणिक चयन को अधिक आसान बनायेगा, बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के बीच विश्वास का संवर्धन करेगा तथा अपविक्रय को रोकेगा और दावा निपटान के समय संभावित विवादों को कम करेगा। आशा है, निम्नलिखित `प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न' (एफएक्यू) सरल जीवन बीमा की विशेषताओं और लाभों के बारे में सभी क्रेताओं को एक बेहतर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में समर्थ बनाएँगे।

1. ***सरल जीवन बीमा क्या है?***

"सरल जीवन बीमा" एक असंबद्ध लाभरहित वैयक्तिक विशुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना है, जो पालिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में नामिती को बीमित राशि के एकमुश्त भुगतान करने के लिए व्यवस्था करती है।

2. ***प्रवेश के समय निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है?***

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष है तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष है।

3. ***बीमा कवर की न्यूनतम और अधिकतम अवधि क्या है?***

बीमा कवर की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष है तथा अधिकतम अवधि 40 वर्ष है।

4. ***उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम बीमित राशि क्या है?***

क) न्यूनतम बीमित राशि रु. 500000/- (पाँच लाख) है तथा अधिकतम बीमित राशि रु. 25,00,000/- (पच्चीस लाख) है।

ख) बीमाकर्ताओं के पास रु. 25,00,000/- से अधिक बीमित राशि की सुविधा देने का विकल्प है।

5. ***प्रीमियम भुगतान के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्प क्या हैं?***

क) एकल प्रीमियम,

ख) 5 और 10 वर्ष की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि तथा

ग) पालिसी अवधि के समान नियमित प्रीमियम भुगतान अवधि।

***6. प्रीमियम भुगतान के लिए उपलब्ध विभिन्न पद्धतियाँ क्या हैं?***

क) एकमुश्त एकल प्रीमियम

ख) वार्षिक

ग) छमाही

घ) मासिक (केवल ईसीएस/एनएसीएच के अंतर्गत)

***7. पालिसी की परिपक्वता पर देय लाभ क्या है?***

नहीं। कोई परिपक्वता लाभ देय नहीं है, क्योंकि यह एक सावधि बीमा योजना है।

***8. इस योजना के अंतर्गत अपवर्जन क्या हैं?***

वर्तमान विनियमों के अनुसार केवल आत्महत्या खंड (12 महीने की अवधि) लागू है।

***9. क्या जोखिम कवर के प्रारंभ होने से पहले प्रतीक्षा अवधि लागू है?***

हाँ। जोखिम के प्रारंभ की तारीख से 45 दिन की अवधि की प्रतीक्षा अवधि लागू है। पालिसी के पुनःप्रवर्तन (रिवाइवल) के मामले में प्रतीक्षा अवधि लागू नहीं होगी। प्रतीक्षा अवधि के दौरान, दुर्घटना के कारण मृत्यु को छोड़कर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावा राशि करों के अतिरिक्त प्राप्त सभी प्रीमियमों के 100% के समान राशि तक सीमित होगी।

***10. प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले किसका सत्यापन करना चाहिए?***

निम्नलिखित के लिए **अनुमोदित विक्रय साहित्य** का सत्यापन किया जाना चाहिए-

- विशेषताएँ और लाभ
- सीमाएँ और अपवर्जन
- व्यपगमन और उसके परिणाम
- अन्य प्रकटीकरण।

***11. क्या पालिसी खरीदने के बाद पालिसी से संतुष्ट न होने की स्थिति में प्रीमियमों की वापसी की माँग की जा सकती है?***

यदि पालिसीधारक पालिसी की शर्तों से सहमत नहीं है, तो पालिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिन (आनलाइन खरीद के लिए 30 दिन) (**फ्री लुक अवधि**) के अंदर प्रीमियमों की

वापसी की माँग कर सकता है। डाक्टरी जाँच, स्टांप शुल्क और कवर की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम के प्रति व्ययों की कटौती के अधीन पालिसीधारक को भुगतान किया गया प्रीमियम लौटाया जाएगा।

12. ***यदि प्रीमियमों का भुगतान बंद किया जाता है तो क्या होता है?***

योजना के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य देय नहीं है। तथापि, निम्नलिखित के लिए पालिसी निरसन मूल्य देय हैः

क) एकल प्रीमियम और

ख) सीमित प्रीमियम भुगतान विकल्प के अंतर्गत न्यूनतम 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान।

ग) नियमित प्रीमियम भुगतान पालिसियों के संबंध में कोई पालिसी निरसन मूल्य देय नहीं है।

***अस्वीकरणः***

उपर्युक्त सूचना केवल सामान्य जानकारी के लिए दी गई है तथा इसमें कोई कानूनी अथवा अन्य व्यावसायिक परामर्श निहित नहीं है। यह सूचना प्रकाशन की तारीख को विद्यमान है, परंतु यह किसी नोटिस के बिना परिवर्तन के अधीन है तथा तदनुसार अवलोकन करने के समय इसके अद्यतन न होने की संभावना है। किसी उत्पाद के लिए विशिष्ट सूचना संबंधित बीमाकर्ता से प्राप्त की जा सकती है।